कार्यालय उप वन संरक्षक, बून्दी

E-Mail:– dcf.bundi.forest@rajasthan.gov.in, Tel. No. 0747-2456823, Fax No. 0747-2457462

क्रमांक एफ2( )एफ0सी0ए0/उवसं/2025/1255 दिनांक : 6-2-2025

निमित्तः-

परियोजना निदेशक (पी0पी0पी0)
सा0नि0वि0, कोटा।

विषयः– Submission of document for seeking prior approval of forest case proposal No. FP/RJ/ROAD/29812/2017 in respect Construction Laxmipura-Dora-Dabi-Ranaji Ka Guda NH-12.

प्रसंग :– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय गांधीनगर का पत्र क्रमांक दिनांक 31.12.2024 एवं इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 110 दिनांक 03.01.2025 तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी एफसीए राज0 जयपुर की ऑनलाइन क्यूरी

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र की छायाप्रति पत्र के साथ संलग्न कर लेख है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय गांधीनगर का पत्र दिनांक 31.12.2024 से विषयांकित प्रकरण के निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत केन्द्र सरकार विषयांकित परियोजना हेतु 32.3264 है0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन एवं 611 वृक्षों के पातन की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रसांगिक पत्र में वर्णित शर्तो के आधार पर प्रदान की गई हैं।

1. सैद्धांतिक स्वीकृति की Specific Conditions – 3 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में वृक्षारोपण स्थल पर पानी पिलाने हेतु 3 सोलर पंप मय मोटर एवं अन्य फिटिंग, बोरिंग मय पाइप एवं अन्य फिटिंग, पानी का टेंक पौधो को पानी पिलाने हेतु (एन0एफ0एल में 1 एवं डी0एफ0एल0 में 2) अनुमानित राशि 2850000/–
2. सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्त संख्या A-1 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में गैर वन भूमि वृक्षारोपण हेतु वेजरेट 259 से बढकर 285/– होने से 410000x285/259=451158.30/- प्रति हैक्टेयर की दर से 27 है0 वृक्षारोपण की राशि 12181274.10/– एवं गैर वन भूमि वृक्षारोपण हेतु वेजरेट 259 से बढकर 285/– होने से 777500x285/259 =855555.19/- प्रति हैक्टेयर की दर से 5.3264 है0 वृक्षारोपण की राशि 4557002.52 कुल राशि 16738276.63/– रू
3. सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्त संख्या B-3 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में परिभ्राषिंत वृक्षारोपण की राशि वेजरेट 259 से बढकर 285/– होने से 223000x285/259=245386.10 प्रति हैक्टेयर की दर से 60 है0 की राशि 14723166/–
4. सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्त संख्या A–2 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007 एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 एवं संशोधित आदेश 5–3/2011– FC (Vol&-1) दिनांक 06.01.2022 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) 957780/– प्रति हैक्टेयर रामगढ विषधारी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में प्रस्तावित क्षेत्र की शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की 5 गुणा राशि 4788900 प्रति है0 की दर से 28.80 है0 (RVTR Buffer) की राशि 137920320 रु0 एवं प्रादेशिक वन क्षेत्र की शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) 957780/– प्रति हैक्टेयर की दर से 3.5264 है0 की राशि 3377515.39 रु0 कुल राशि 141297835.39 रू.
5. सैद्धांतिक स्वीकृति की Specific Conditions – 2 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गैर वन भूमि पर प्रस्तावित वृक्षारोपण के चारो तरफ 6 फीट दीवार की राशि वेज रेट 259 से बढकर 285 होने से 4000x285/259=4401.54/- प्रति रनिंग मीटर की दर से 1972 (खसरा संख्या 355/241 की बाहरी परिधि में लगभग 1200 मीटर + खसरा संख्या 355/243 की बाहरी परिधि में लगभग 772 मी0) मीटर दीवार राशि 8679836.88/– तथा डी0एफ0एल0 पर वृक्षारोपण

वनखण्ड भरताबावडी की बाहरी वन सीमा में प्रस्तावित न कर वनखण्ड के बीचोंबीच प्रस्तावित करने से डी0एफ0एल0 के वृक्षारोपण में दीवार की आवश्यकता प्रतीत नही है।

उक्त बिन्दू संख्या 1 से 5 की कुल राशि 184289114.90/– रु0 (अठारह करोड बीयालीस लाख नैंवासी हजार एक सौ पंद्रह रुपए) ई–पोर्टल (http:parivesh.nic.in/) द्वारा सृजित ई–चालान द्वारा केम्पा अकाउंट में जमा करवाकर एवं एवं सैद्धान्तिक स्वीकृति में वर्णित शर्तो की बिन्दूवार पालना रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय में प्रेषित करे, साथ ही भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 7–23/2012–एफसी दिनांक 24.01.2013 से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के निर्णय दिनांक 07.11.2012 की पालना में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रति 2 दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशित करा समाचार पत्रों की प्रति पालना के साथ कार्यालय में आवश्यक रुप से भिजवाये ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके। आलोच्य प्रकरण में जब तक विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती है तब तक किसी भी प्रकार गैरवानिकी कार्य न हो पावे, सुनिश्चित करें।

संलग्नः–प्रासंगिक पत्र।

भवदीय

(देवेन्द्र सिंह भाटी)
उप वन संरक्षक
बून्दी

क्रमांक एफ2( )एफ0सी0ए0/उवसं/2025/1256-57 दिनांक :6-02-2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी (एफ0सी0ए0) राज0 जयपुर।
2. संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा।

(देवेन्द्र सिंह भाटी)
उप वन संरक्षक
बून्दी